पत्रांक 17/म01-51/2016......219....../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड

राँची, दिनांक 16/05/2016

विषय :- केन्द्र प्रायोजित मध्याहन् भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवकाश के कुल 25 दिनों में वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के छात्रों को मध्याहन् भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

विषयान्तर्गत कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रकाशित गजट 10 दिसम्बर, 15 के कंडिका 2(1) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों को सुखाड़ग्रस्त जिला घोषित किया गया है। मध्याहन् भोजन योजना के तहत् यह प्रावधान है कि सुखाड़ग्रस्त जिलों में गर्मी की छुट्टियों में भी मध्याहन् भोजन सभी संबंधित बच्चों को उपलब्ध करवाया जायेगा। तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा रहा है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के झारखण्ड राज्य के सलाहकार श्री बलराम का पत्रांक एफ0 2/2014 दिनांक 09.05.16 के द्वारा भी ग्रीष्मावकाश सहित रविवारीय अवकाश में भी मध्याहन् भोजन योजना के तहत् सुखाड़ग्रस्त जिलों में गर्मी की छुट्टियों में मध्याहन् भोजन सभी संबंधित बच्चों को उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है।

2. निदेश दिया जाता है कि अपने जिलान्तर्गत मध्याहन् भोजन योजना से आच्छादित सभी विद्यालयों में जिला में उपलब्ध राशि एवं खाद्यान्न से आने वाले 25 अवकाश के दिनों में (रविवारीय सहित) मध्याहन् भोजन कार्यक्रम का लाभ तत्काल प्रभाव से वर्ग 1 से वर्ग 8 तक के बच्चों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायें।

3. जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिले के उपायुक्त से सम्पर्क स्थापित कर 25 अवकाश दिनों का निर्धारण इस पत्र की प्राप्ति के 2 दिनों के अन्दर करते हुये तत्संबंधी सूचना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवायेंगे। साथ ही संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं विद्यालयों को भी ससमय इस कार्यक्रम से अवगत करवायेंगे जिससे बच्चों, ग्राम शिक्षा समिति, सरस्वती वाहिनी एवं बच्चों के माता-पिता इसके बारे में अवगत हो जायें। अवकाश के दिनों मे संचालित मध्याहन् भोजन कार्यक्रम का अनुश्रवण राज्यस्तर, जिलास्तर एवं प्रखण्डस्तर से किया जायेगा। सभी जिला शिक्षा अधीक्षक अपने स्तर से इस संबंध में प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित कर सभी संबंधित को सूचित करेंगे।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक अवकाश के दिनों में संचालित मध्याहन् भोजन कार्यक्रम से संबंधित प्रतिवेदन, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड द्वारा पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

विश्वासभाजन,

16/5/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 16/05/2016

ज्ञापांक 219/

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, झारखण्ड/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/5/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 16/05/2016

ज्ञापांक 219/

प्रतिलिपि :– श्री बलराम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के झारखण्ड राज्य के सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/5/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 16/05/2016

ज्ञापांक 219/

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/16

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

WRITE PETITION (CIVIL) NO. 875 OF 2015 FILED IN SUPREME COURT BY SWARAJ ABHIYAN VS. UOI (MINISTRY OF AGRICULTURE) AND 11 STATE GOVERNMENTS. IMPLEMENTATION OF COURT'S DIRECTIONS VIDE PARAS 6 AND 7 OF JUDGEMENT DATED 13.5.2016 RELATING TO MDM BY THE 11 RESPONDENT STATES AND THE MHRD

4) RESPONSE FROM THE STATE GOVERNMENTOF JHARKHAND

The State Govt. has,vide letter No. 17/M 2-46/2016/283dated 21-6-2016 (Annexure IV) informed that egg/fruits, sprouts and biscuitsare being provided to all children thrice in a week in drought-affected areas.

Coverage of Districts/Schools

The State Government, vide their letter dated 16-5-2016, has informed that 24 districts have been declared as drought affected. In the 24 drought affected districts41000 schools were covered under MDM Scheme.

Coverage of Children

2111270 children in Primary and 872093 children and Upper Primary were proposed to be covered during the summer vacation in the drought-affected areas. Out of which,1606387 children in Primary and 630608 in Upper Primary children were served MDM.

Coverage of Working days

Initial proposal was to cover 25 days during the summer vacation in the drought-affected areas and the State has informed that MDM has been served in all the 11(Average working day) days. (District-wise days are different). MDM was served for maximum days in Latehar (25 days) and minimum inDumka (4 days).

Utilization of Funds sanctioned and utilized

Rs. 2865.28 lakh was sanctioned and released on 17.6.2016, out of which, the State Government has utilized Rs.13.42 crore.

Details of Release of Funds to the State from MHRD

i) **Ad-hoc Release and sanction - Rs. 6680.63 dated 13-4-2016**
ii) **Release for drought sanction – 2865.28 dated 21-6-2016**
iii) **Balance of 1st Installment release 10730.48 dated 29-6-2016**

पत्रांक 8/आ1-18/2012....30..../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)

प्रेषक,

आराधना पटनायक,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक ..25../..01../2016

विषय :- मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत साप्ताहिक मेनू में आंशिक संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 943 दिनांक 16.6.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि पूर्व के साप्ताहिक मेनू में आंशिक संशोधन किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र.	दिवस	विद्यालय समयावधि	अल्प मध्यान्तर (10:30 पूर्वा0 से 10:45 पूर्वा0)	मध्याह्न भोजन (01:30 अप0 से 02:00 अप0) शनिवार (11:00 पूर्वा0 से 11:30 पूर्वा0)
1	सोमवार	08:00 बजे पूर्वा0 से 02:00 बजे अप0 तक	एक उबला अण्डा/ एक सेब/केला	चावल, दाल एवं हरी सब्जी
2	मंगलवार	08:00 बजे पूर्वा0 से 02:00 बजे अप0 तक	मुढ़ी/ अंकुरित चना एवं गुड़	चावल, छोला या चना की सब्जी
3	बुधवार	08:00 बजे पूर्वा0 से 02:00 बजे अप0 तक	एक उबला अण्डा/ एक केला	भेज पुलाव हरी सब्जी एवं सोयाबीन बड़ी युक्त/ चावल, दाल एवं हरी सब्जी
4	गुरुवार	08:00 बजे पूर्वा0 से 02:00 बजे अप0 तक	बिस्कुट दो	चावल, दाल एवं हरी सब्जी
5	शुक्रवार	08:00 बजे पूर्वा0 से 02:00 बजे अप0 तक	एक उबला अण्डा/ एक संतरा/केला	चावल, दाल एवं हरी सब्जी
6	शनिवार	08:00 बजे पूर्वा0 से 11:30 बजे अप0 तक	---	खिचड़ी/फ्राईड राईस (हरी सब्जी)/सोयाबीन बड़ी, पालक युक्त) तथा आचार एवं पापड़
(नोट :- सप्ताह में कम से कम एक दिन उबला अण्डा के स्थान पर अण्डा सब्जी (अण्डाकढ़ी) अवश्य दिया जाए)				

- निदेश दिया जाता है कि उक्त के अनुसार ही विद्यालयों में अल्प आहार एवं दोपहर का पका भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- अल्प आहार की व्यवस्था निर्धारित कुकिंग कॉस्ट एवं अतिरिक्त पोषाहार के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से ही किया जाना है।

विश्वासभाजन,

15.1.16

(आराधना पटनायक)

सरकार के सचिव।